

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-2692/दो-9-2017-17(8)/2017
लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री हरि शंकर यादव, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक-28.07.2017 एवं दिनांक 25.09.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उ0प्र0) नियमावली 1985 के नियम-13(2) (तीन) सपठित नियम-14(1) के अधीन उनके सामान्य जी0पी0एफ0 खाता संख्या-जी0ए0यू0/73107 से पुत्र के विवाह में व्यय वहन हेतु रू0-4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृति धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अस्थायी अग्रिम से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अस्थायी अग्रिम उन्हें सामान्य दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को (साक्ष्य सहित) तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- (4) उक्त अस्थायी अग्रिम की वसूली रू0 13,330/- 29 समान किशतों में एवं 30वीं किशत रू0-13,430/- की दर से श्री हरिशंकर यादव के वेतन से की जायेगी। अग्रिम की वसूली आहरण के अगले माह से प्रारम्भ होगी।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-2692(1)/दो-9-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- सम्परीक्षा अधिकारी-कास (VIII) फण्ड महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 3- जिलाधिकारी मथुरा।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी मथुरा।
 - 4- श्री हरिशंकर यादव, पी0सी0एस0, उपजिलाधिकारी मथुरा।
 - 5- नियुक्ति अनुभाग-7 / गार्ड बुक की प्रति / कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव। 2